पशुपालकों व किसानों की मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख

अजमेर, (कासं)। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी द्वारा प्रदेश के पशुपालकों और किसानों की मांगों को लेकर गत दिनों राज्य सरकार को मांग पत्र सौंपा उस पर सरकार द्वारा सकारात्मक रुख अपनाया है। सरकार द्वारा गत वर्ष 8 माह के बकाया भुगतान होने पर 4 माह का भुगतान किया, अब 6 माह के बकाया होने पर 3 माह का भुगतान कर रहे हैं।

शेष 3 माह के लिए 31 जुलाई का आश्वासन दिया गया, जबकि नवम्बर एवं दिसम्बर के भुगतान में प्रदेश में काफी समितियों के 12 करोड़ बकाया हैं। केवल अजमेर डेयरी में ही 6 हजार पशुपालकों का भुगतान बकाया है। चौधरी ने सरकार के रुख पर उम्मीद जताई कि सरकार उन पर भी ध्यान देगी एवं जल्द भुगतान सुनिश्चित करेगी। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि 25 सौ पदों की भर्ती प्रक्रिया एक साथ की जाए ताकि समस्त भर्तियों का वेतन जिला संघ एवं आरसीडीएफ वहन करेगी। राज्य सरकार को एक नया पैसा भी नहीं देना होगा।

इसी प्रकार मिड डे मील योजना एवं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के 350 करोड़ बकाया हैं एवं एक वर्ष से लंबित हैं, इनका भी 31 जुलाई से पूर्व निराकरण कराया जाए। आरसीडीएफ द्वारा पशु आहार की दरें पूरे भारत वर्ष में सबसे अधिक ली जा रही हैं, इसमें कम से कम 2 रुपए प्रति किलो कम की जाए।

उन्होंने डेयरी फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज जो करीब 8 वर्षों से अधूरा पड़ा है, उसे यथा शीघ्र पूरा कराने की भी अपील की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उपरोक्त मांगे 31 जुलाई तक पूरी नहीं होने पर 3 अगस्त का प्रस्तावित धरना यथावत रहेगा।

धूमधाम से मनाया गया आई.सी.ए.आई का 77वां स्थापना दिवस

- वरिष्ठ सीए सदस्यों का सम्मान एवं रक्तदान शिविर में 105 यूनिट रक्त एकत्रित

भीलवाड़ा। दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की स्थापना 1 जुलाई 1949 को भारत सरकार के अधिनियम द्वारा की गई थी। इस अवसर पर आज आईसीएआई का 77वां स्थापना दिवस भीलवाड़ा शाखा द्वारा पूर्ण श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। शाखा अध्यक्ष सीए आलोक सोमानी ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की।

इसके पश्चात चार्टर्ड एकाउंटेंसी पेशे में दशकों से योगदान देने वाले वरिष्ठ सीए सदस्यों – सीए सुभाष समदानी, सीए कमल किशोर मोदी एवं सीए एन. के. जैन का सम्मान किया गया। उन्हें चांदी का सिक्का, नारियल, उपरना एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर आदरपूर्वक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओस्तवाल ठ्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक सीए प्रवीन ओस्तवाल एवं सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल (सीआईआरसी) के माननीय सदस्य सीए निर्भीक गांधी का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में सीए आलोक सोमानी ने कहा, आईसीएआई न केवल देश के वित्तीय अनुशासन का स्तंभ है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण में भी अठाणी भूमिका निभा रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस संस्था के सदस्य हैं। भीलवाड़ा शाखा सदैव सदस्यों एवं विद्यार्थियों के समठा विकास हेतु कार्य करती रहेगी। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले महीनों में अनेक नई शैक्षिणक एवं सामाजिक गतिविधियों की भी योजना बनाई गई है। आज का दिन हम सभी मेहनती, निष्ठावान और जुझारू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को समर्पित है। हम न सिर्फ बैलेंस शीट संभालते हैं, बल्कि विश्वास और पारदर्शिता की नींव भी मजबूत करते हैं। मुख्य अतिथि सीए प्रवीन ओस्तवाल ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा, आईसीएआई की यह यात्रा 1949 से अब तक समाज, व्यापार और सरकार के सभी क्षेत्रों में विश्वसनीयता और पारदर्शिता की मिसाल बनी है। हमें गर्व है कि हम इस संस्था का हिस्सा हैं और हमें युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सशक्त बनाना है। सीए निर्भीक गांधी ने कहा आइसीएआइ के 76 गौरवशाली वर्ष इस महान प्रोफेसर की प्रतिष्ठा के साथ साथ हम सभी सदस्यों की निष्ठा, समर्पण और सतत योगदान को भी प्रमाणित हैं। आईसीएआई सदैव गुणवत्ता, नैतिकता एवं सेवा के सिद्धांतों पर कार्य करता आया है। मैं भीलवाड़ा शाखा को इस भव्य आयोजन और सक्रिय कार्यप्रणाली के लिए बधाई देता हूँ। शाखा उपाध्यक्ष सीए दिनेश सुथार ने बताया कि आज का दिन समर्पित है उन जांबाज दिमागों को, जो बैलेंस शीट के पीछे छिपे हर असंतुलन को ढूंढ लेते हैं, जो हर नियम, हर टैक्स, हर कॉम्प्लायंस को देश की प्रगति के साथ जोड़ते हैं। शाखा सचिव सीए अक्षय सोडानी ने जानकारी दी कि, जून माह में आयोजित सीए स्पोर्ट्स महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं जैसे बॉक्स क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, चेस आदि का सफल आयोजन हुआ।

अस्पताल में हेल्प डेस्क शुरू

अजमेर, (कासं)। आदर्श नगर स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में मंगलवार को अजमेर दक्षिण विधायक हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। हेल्प डेस्क का उद्घाटन विधायक अनीता भदेल द्वारा किया गया। हेल्प डेस्क से अस्पताल आने वाले मरीज और उनके परिजन को इलाज के लिए डॉक्टर तथा वार्ड के बारे में जानकारी मिल सके साथ ही अस्पताल में होने वाले परेशानियों के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए सुविधा भी मिल सकेगी।

सैटेलाइट अस्पताल में मंगलवार को हेल्प डेस्क का शुभारंभ अजमेर दक्षिण की विधायक अनिता भदेल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में आने वाले मरीजों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को समुचित जानकारी, मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना है।

आम सूचना

मेरी सास नोखा पत्नि आनोडा उर्फ ओनाडा जाति गुर्जर निवासी मोतीपुरा की मृत्यु दिनांक 25.05.2024 को मेरे निवास स्थान मोतीपुरा में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत कालानाड़ा में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी सास नोखा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। –प्रार्थी– कमला पत्नि गोपी जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अरांई(अजमेर)

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरोज पत्नी सुरेश कुमार राजस्व ग्राम लोहागल के खसरा नंबर 998,1188,999 पुराना 1070, 1080, 1069 नया भूखण्ड संख्या 46 B में क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज के भूखण्ड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो, तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जाएगी।- (उपायुक्त उत्तर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

अजमेर विकास प्राधिकरण
लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हुमेरा परवीन की ग्राम नौसर के खसरा नं. 229 भूखण्ड संख्या 06 में क्षेत्रफल 195.83 वर्गगज के भूखण्ड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो तो सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जावेगी।

–उपायुक्त(उत्तर), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांकः न.नि.अ/भवन/25-26/ — **आपत्ति सूचना** — दिनांकः

श्रीमती मंजू धीया पत्नी श्री राजेन्द्र धीया निवासी 118/24 विमला निवास बाबू मौहल्ला केसरगंज अजमेर द्वारा एक सम्पति संख्या ए.एम.सी. 1175/1 का भाग है जो वाके सागर विहार कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 162.66 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार हैं।

पूर्व में - रास्ता आम 40 फुट चौड़ा — पश्चिम में - सम्पति श्री खन्ना जी की है
उत्तर में - रास्ता आम 30 फुट चौड़ा — दक्षिण में - भूखण्ड का बकाया भाग है

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति / संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

-उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांकः न.नि.अ/भवन/25-26/137 — **आपत्ति सूचना** — दिनांकः01/07/25

श्री मनोज कुमार जैन पुत्र स्व. श्री ज्ञानचन्द जैन निवासी टीकम गंज केसरगंज अजमेर द्वारा एक सम्पति संख्या मकान नं. 41/12-ई का भाग एवं खसरा संख्या 405 का भाग है जो वाके नेहरू नगर श्रीनगर रोड अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 195.06 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार हैं।

पूर्व में - अन्य की सम्पति — पश्चिम में - सम्पति श्री मोहनलाल की
उत्तर में - सम्पति का शेष भाग शालू कुमारी का — दक्षिण में - श्रीनगर रोड है

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

-उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़, (अजमेर) राज.

क्रमांकः न.प.कि./भूमि/2025/436 — **आम सूचना** — दिनांकः 30/6/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मंगल चन्द उर्फ मंगल सिंह पुत्र श्री लालचन्द माली ने खांचा भूमि/भोगपडत के तहत् पट्टा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो की मालियों का बड़ा मौहल्ला नया शहर, किशनगढ़ में है जिसका कुल क्षेत्रफल 18.66 वर्गगज है जिसकी सीमाएँ निम्न प्रकार से है-

पूर्व में - मोहन जी माली का मकान — पश्चिम में - अमरचन्द जी माली का मकान
उत्तर में - भोगपडत भूमि बाद में शामलाती रास्ता — दक्षिण में - स्वयं का मकान

उक्त सीमा मध्य स्थित खांचा भूमि/भोगपडत के तहत् पट्टा जारी किये जाने में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो लिखित में सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में प्रस्तुत करे बाद मियाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति / ऐतराज मान्य नही -होगा। अतः सूचित रहे।

-प्रभारी भूमि शाखा नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक:न.पा.बि. /निर्माण स्वी./2025/1188 — दिनांक-12/6/2025

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण

फाईलनं.	आवेदक नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
45	सोनिया पत्नि दशरथ	इन्दिरानगर बिजयनगर ब्लॉक नं. ई.भू. सं. 55 का पूर्वी दिशा का हिस्सा	92.9 SQ. MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 560 — **जाहिर आम सूचना** — दिनांक-01.07.25

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2/5, नाका मदार, अजमेर क्षेत्रफल 26.98 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री हीरालाल पुत्र श्री लीलाराम को आवंटित कर दिनांक 02.04.1988 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री हीरालाल पुत्र श्री लीलाराम द्वारा दिनांक 09.06.2023 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्री हीरालाल पुत्र श्री लीलाराम द्वारा आवास का बैचान श्रीमती मनीषा कनोजिया पत्नि श्री रविन्द्र कुमार को दिनांक 11.06.2025 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 980 में पृष्ठ संख्या 3 क्रम संख्या 202503002106218 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3917 के पृष्ठ संख्या 252 से 259 पर दिनांक 11.06.2025 को चस्पा किया गया है। अब श्रीमती मनीषा कनोजिया पत्नि श्री रविन्द्र कुमार ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती मनीषा कनोजिया पत्नि श्री रविन्द्र कुमार का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

-सहायक प्रशासनिक अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

कार्यालय नगर परिषद,मकराना डीडवाना–कुचामन(राज.)

क्रमांक:नपम/भूमि/2025-26/1185 — **आपत्ति आमंत्रण सूचना** — दिनांक-01/7/2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्न आवेदक द्वारा नगर परिषद में निम्न रूप में उल्लेखित प्रयोजनार्थ के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। निम्न प्रकरणों में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में आपत्ति मय दस्तावेजों के विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से 07 दिवस में कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक खातेदार का नाम/पिता का नाम व पता	प्रयोजन	पट्टा /खसरा सं.	क्षेत्रफल	पड़ौस
1	रामावतार माहेश्वरी पुत्र घीसालाल दर्मा धर्मा राम ढाका पुत्र उमाराम ढाका निवासी ब्राह्मणों का टीबा मोती कॉम्पलेक्स के पास मकराना	69-क वाणिज्यिक	खसरा सं. 641	464 वर्गगज	पूर्व- आम रास्ता पश्चिम- शफी जी लौहार का मकान उत्तर- रास्ता दक्षिण- कॉम्पलेक्स
2	विशाल चौखडा पुत्र अशोक चौखडा निवासी आनंद नगर मकराना	69-क वाणिज्यिक	खसरा सं. 641	44.64 वर्गगज	पूर्व- कालू जी का मकान पश्चिम- संतोष सैनी का मकान उत्तर- हाजी मोहम्मद भिस्ती का मकान दक्षिण- आम रास्ता
3	नसीरूदीन चौहान पुत्र अब्राह बक्स पेट्रोल पंप के पीछे मदीना कॉलोनी मकराना	कृषि नियमन आवासीय	खसरा सं. 618	388 वर्गगज	पूर्व-अनवर क्यूम की जगह पश्चिम- आवेदक का भूखण्ड उत्तर- उमर जी का मकान दक्षिण- आवेदक का भूखण्ड

आयुक्त, नगर परिषद मकराना

कार्यालय नगर परिषद,मकराना डीडवाना–कुचामन(राज.)

क्रमांक:नपम/भूमि/2025-26/1117 — **आपत्ति आमंत्रण सूचना** — दिनांक-30/6/2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्न आवेदक द्वारा नगर परिषद में निम्न रूप में उल्लेखित प्रयोजनार्थ के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। निम्न प्रकरणों में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में आपत्ति मय दस्तावेजों के विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से 07 दिवस में कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक खातेदार का नाम/पिता का नाम व पता	प्रयोजन	पट्टा /खसरा	क्षेत्रफल	पड़ौस
1	इरशाद अली, नौशाद अली पिसरान नवाब अली निवासी पेट्रोल पंप के पीछे मदीना कॉलोनी मकराना	कृषि नियमन आवासीय	खसरा सं. 618	734.22 वर्गगज	पूर्व- आम रास्ता पश्चिम- कालू गेसावत की जमीन उत्तर- हुसैन हमीद हुसैन की जमीन दक्षिण- सलीम सन्दड की जमीन
2	रामकरण चौधरी पुत्र रेवताराम निवासी नेशनल होटल के पास बोरावड रोड	कृषि नियमन वाणिज्यिक	खसरा सं. 711/6	2468 वर्गगज	पूर्व- गोविन्द स्वामी की जमीन पश्चिम- आम रास्ता उत्तर- बोरावड रोड दक्षिण- एसटीटीक मार्बल कंपनी

आयुक्त, नगर परिषद मकराना

लिफ्ट का शुभारंभ आज

अजमेर, (कासं)। 160 वर्ष पूर्व बनी अजमेर की विश्व विख्यात सोनीजी की नसिया में पुनः निर्माण व जीर्णोद्धार कार्या में लिफ्ट भी लगाई गई है। बुधवार को नवनिर्मित लिफ्ट का शुभारंभ समारेह पूर्व होगा। सोनी जी की नसिया का प्रबंधन करने वाले समिति के पदाधिकारी प्रमोद चंद जैन सोनी ने बताया कि स्वर्णमयी अयोध्या नगरी भगवान ऋषभदेव के पंचकल्याणक की रचना का अवलोकन करने लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं और यहां की कला को देख कर आश्चर्य चकित रह जाते हैं।

400 परिवारों को मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण

अजमेर, (कासं)। मलेरिया व मच्छर से होने वाली बीमारियों के अधिकांश मरीज सामने आते हैं। जिसके चलते राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान द्वारा काजीपुरा, हाथी खेड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर, कायड़, नाचन बावड़ी, घूघरा सहित 16 ग्रामीण क्षेत्र और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवारों को लगभग 400 परिवारों के बीच निःशुल्क मच्छरदानी का वितरण किया गया।

मेडिकेटेड मच्छरदानी संबंधित परिवारों को मलेरिया व मच्छर से होने वाली बीमारियों से बचाएगा। राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्र के चयनित मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक मच्छरदानी पहुंचाई। साथ ही संस्था के कर्मचारियों ने मलेरिया और डेंगू से बचने के उपाय भी बताए। ऐसे में मलेरिया प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। बारिश व जलजमाव के कारण मलेरिया व अन्य संक्रमण से अनेक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। संस्था द्वारा हर साल महामारी, डायरिया, मलेरिया आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। उद्देश्य है कि मलेरिया से पीड़ित मरीजों की पहचान कर बीमारी की रोकथाम की जा सके। संस्था के प्रभारी डॉ एस एन शर्मा ने बताया कि मेडिकेटेड मच्छरदानी खास तरह के केमिकल से युक्त होती हैं। इसका फायदा यह होता है कि यह मानव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं करता, लेकिन मलेरिया फैलाने वाले मादा एनाफिलीज मच्छर को खत्म कर देता है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित है। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू होगा।

क्रमांक	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	सैक्शन 13 (2) के नोटिस तिथि	सैक्शन 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	103502255	संपत्ति पर ऋण	09.06.2025	5,58,429.69/-

ऋणकर्ताओं एवं सह-सहऋणकर्ताओं के नामः 1. रामकरण गुर्जर, 2. सम्पत देवी

सम्पत्ति पता- प्लाट पट्टा नं. 26, प्लाट एरिया 171.99 वर्ग गज, का पूरा व प्रतयेक भाग, ग्राम-सपुन्दा, ग्राम पंचायत-ललाई, पंचायत समिति-केकड़ी, जिला-अजमेर, राजस्थान-305406 और सीमाये है पूर्व-राम लाल गुर्जर, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर-राम लाल गुर्जर, दक्षिण-हरीराम गुर्जर

आपसे कहा जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तारीखों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा रूप से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

दिनांक- 02.07.2025
स्थान- अजमेर

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

मुनि दीक्षा दिवस पर धार्मिक आयोजन

अजमेर, (कासं)।श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला एवं युवामहिला संभाग अजमेर की गोधा गवाडी ईकाई के तत्वावधान मे कीर्ति स्तम्भ पर रिद्धि मंत्रो का उच्चारण करते हुए 48 दीपक प्रज्ज्वलित कर भक्तामर स्त्रोत का पाठ व भजनों की प्रस्तुति अनासक्त महायोगी संत शिरोमणि समाधिस्थ परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज के 58वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष में रखा। समिति की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी ने बताया कि आज से 58 वर्ष पूर्व आचार्य श्री ने इसी कीर्ति स्तंभ से मुनि दीक्षा ली थी। गोधा गवाड़ी इकाई की नव पदास्पित अध्यक्ष अनिता बज एवं मंत्री संतोष बाकलीवाल ने बताया भक्ति से भरपूर कार्यक्रम में विद्यासागर नाम हमे प्राणों से भी प्यारा है।

राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में हेल्प डेस्क शुरू

- महर्षि दयानंद ने वैदिक मूल्यों और आधुनिक सोच के संगम का रास्ता दिखाया था-आचार्य बालकृष्ण

अजमेर, (कासं)। पतंजलि योगपीठ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती न केवल 19वीं सदी के समाज सुधारक थे, बल्कि वे आधुनिक भारत के मार्गदर्शक चिंतक भी हैं। भिनाय कोठी में आयोजित विशेष समारोह में उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद ने भारतीय समाज को वैदिक मूल्यों और आधुनिक सोच के संगम का रास्ता दिखाया। आचार्य बालकृष्ण ने अपने संबोधन में बताया कि महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटने का जो आ ान किया, उसका मकसद समाज में वैज्ञानिक सोचए सार्वभौमिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों की स्थापना करना था।

उन्होंने कर्म, पुनर्जन्म और संन्यास जैसे गूढ़ सिद्धांतों को आमजन के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे समाज को नई दिशा मिली। उन्होंने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश जैसे कालजयी ग्रंथ के माध्यम से शिक्षा, विवाह, गृहस्थ जीवन, राजधर्म और सदाचार पर महर्षि दयानंद ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, वह आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। उनके विचारों ने समाज में व्याप्त कुरीतियोंए अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज उठाई और सामाजिक जागरूकता को नई दिशा दी। आचार्य ने विशेष रूप से यज्ञ की वैज्ञानिकता पर जोर देते हुए कहा कि ऋषि दयानंद के अनुसार, यज्ञ सनातन संस्कृति का वैज्ञानिक अनुष्ठान है, जिससे पर्यावरण की शुद्धता और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ होता है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से महर्षि दयानंद के आदर्शों को जीवन में उतारने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेने का आ ान किया।

समारोह में डॉ. श्रीगोपाल बाहेती, सोमरत्न आर्य, डॉ सलिल माहेश्वरी, डॉ अनुराग वार्ष्णय, डॉ संजीव माहेश्वरी, डॉ श्याम भूतड़ा सहित अनेक गणमान्य नागरिक और आर्य समाज के सदस्य उपस्थित रहे। आचार्य बालकृष्ण ने इससे पूर्व अजमेर स्थित स्टैच्यू ऑफ ट्रूथ का भी अवलोकन किया।

इस अवसर पर वैदिक विद्वान व न्यासी पंडित रामस्वरूप, महंत शिवरतन शरण जी, गौकृषि आदि रक्षिणी सभा के मंत्री गिरधारी लाल, न्यास के उप मंत्री जय किशन परवानी, तेज सिंह, प्रकाश किशोर खन्ना, डॉ राम किशन गुर्जर, यतीन्द्र शास्त्री, वन्दना आर्य, सौरभ सोनी, सुशांत ओझा, सारिका जैथलिया, रवींद्र मारोठिया, सत्यनारायण शर्मा, विश्वास पारीक, राहुल आर्य व योगिता रावत सहित कई आर्यजन उपस्थित थे।

नाम परिवर्तन

मेरे आर्मी नं. 15155016M रैंक- BHM (OPR) नाम- CHHOTE LAL YADAV है। यह कि मेरे पुत्र का नाम मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में ADITYA KUMAR दर्ज है जो कि गलत है। जबकि भविष्य में मेरे पुत्र को सही व वास्तविक नाम ADITYA YADAV से जाना जाये।

न्यायालय अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश, डीडवाना

बईजलासः- श्री राजेश कुमार गजरा, आर.एच.जे.एस.
दीवानी विविध प्रकरणः भारतीय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संख्या 0.3/2025

प्रार्थी- 1- हनुमानाराम पुत्र जीवणराम उम्र 80 साल जाति जाट निवासी ध्यावा तहसील लाडनूं जिला डीडवाना-कुचामन राज0

बनाम

सर्व साधारण, वगै0 प्रार्थना-पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 372 भा.उ.अधि.

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी की ओर से प्